



2026:AHC:43709-DB

ए.एफ.आर.

निर्णय सुरक्षित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या-1330 वर्ष 1989

किशन लाल एवं अन्य

.....अपीलकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्तागण के अधिवक्ता : श्री रघुवंश मिश्र, श्री राहुल मिश्र

प्रतिवादी के अधिवक्ता : डी.जी.ए.

न्यायालय संख्या – 43

माननीय न्यायमूर्ति सलील कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

(माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी द्वारा प्रदत्त)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



1. वर्तमान आपराधिक अपील आरोपी-अपीलकर्ताओं, अर्थात् किशन लाल पुत्र भोला नाथ, भोला नाथ पुत्र सेवा राम और वीरपाल पुत्र रामेश्वर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-33/1988 (किशन लाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में विद्वान पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत द्वारा दिनांक 16.05.1989 को पारित दोषसिद्धि और सजा के निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जो वाद अपराध संख्या-338/1987 धारा-302, पुलिस स्टेशन- बिसलपुर, जिला- पीलीभीत सपठित धारा 34 आई.पी.सी. से उत्पन्न हुआ था,।

2. दिनांक 16.05.1989 के दोषी ठहराने और सजा सुनाने वाले विवादित फ़ैसले और आदेश के ज़रिए, पीलीभीत के पाँचवें अतिरिक्त ज़िला और सत्र न्यायाधीश ने आरोपी-अपीलकर्ताओं को दोषी माना और उन्हें आई.पी.सी. की धारा-302 के साथ धारा 34 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दिनांक 16.05.1989 के फ़ैसले और आदेश से असंतुष्ट होकर, आरोपी-अपीलकर्ताओं ने इस अदालत में यह आपराधिक अपील दायर की है।

3. लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) के अनुसार, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि घटना की तारीख, यानी 23.10.1987 को सुबह के समय, सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5) अपने बड़े भाई इंदल के साथ साइकिल पर लौट रहे थे। वे गाँव गुजरानपुर के ग्राम प्रधान मूल चंद से मिलकर आ रहे थे, जो सूचनाप्रदाता के गाँव से उत्तर दिशा में आधा किलोमीटर दूर स्थित है। इंदल साइकिल चला रहे थे, जबकि सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5) कैरियर पर बैठे थे। सुबह लगभग 10:00 बजे, जब वे कुलावा में रामचंद्र लाल के गन्ने के खेत के पास पहुँचे, तो आरोपी अचानक गन्ने के खेत से बाहर निकले। आरोपी किशन लाल (पिता भोला नाथ) के पास तलवार थी; भोला नाथ (पिता सेवा राम) के पास कांता (एक प्रकार का हथियार) था; और वीरपाल (पिता रामेश्वर दयाल) के दाहिने हाथ में भी कांता था। आरोपी भोला नाथ ने यह कहते हुए इंदल पर कांता से हमला किया कि वे उस दिन बदला ले

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रहे हैं। मुखबिर राम दयाल (पी.डब्लू.-5) साइकिल से कूदकर यह चिल्लाते हुए भाग गए कि उनके भाई की हत्या की जा रही है। इसके बाद, तीनों आरोपियों ने एक ही इरादे और पहले से बनी योजना के तहत इंदल की हत्या करने के इरादे से उस पर कांता और तलवार से हमला किया। इस हमले के परिणामस्वरूप, इंदल की मौके पर ही मौत हो गई और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। सूचनाप्रदाता की चीख-पुकार सुनकर, गाँव के निवासी ओंकार और रामलाल मौके पर पहुँचे और उन्होंने आरोपियों को सूचनाप्रदाता के भाई इंदल की हत्या करते हुए देखा। जब उन्होंने शोर मचाया और आरोपियों को चुनौती दी, तो आरोपी लाश को मौके पर ही छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भाग गए। लिखित रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ओंकार (पिता भोला नाथ) की हत्या 1981 में हुई थी, जिसमें सूचनाप्रदाता राम दयाल के भाई इंदल को आरोपी बनाया गया था। उस मामले में उन पर मुकदमा चला और उन्हें दोषी ठहराते हुए चार साल की सज़ा सुनाई गई थी। उनकी अपील लंबित थी और वे ज़मानत पर थे। पुरानी दुश्मनी के कारण, आरोपियों ने सूचनाप्रदाता के भाई की हत्या कर दी।

4. लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) दर्ज होने के बाद, नामजद आरोपियों किशन लाल पुत्र भोला नाथ, भोला नाथ पुत्र सेवा राम और वीरपाल पुत्र रामेश्वर के खिलाफ थाना-बीसलपुर में मुकदमा अपराध संख्या-338/1987, धारा-302 आई.पी.सी. के तहत घटना की तारीख को दोपहर करीब 2:00 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क-13) दर्ज की गई। एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद, जांच एस.आई. तेजपाल सिंह (पी.डब्लू.-6) को सौंपी गई, जिन्होंने जांच शुरू की और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की। जांच अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और नक्शा-नजरी तैयार किया। उन्होंने घटनास्थल से खून से सनी और सादा मिट्टी बरामद की, उसे मुहरबंद किया और फर्द-बरामदगी (प्रदर्श क-2) तैयार किया। उन्होंने घटनास्थल पर पड़ी एक साइकिल और एक जोड़ी चप्पलें भी कब्जे में लीं और फर्द-बरामदगी (प्रदर्श क-3) तैयार किया। इसके

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अलावा, मृतक के शरीर से, जांच अधिकारी ने खून से सना हुआ एक पैंट और एक सफेद कुर्ता बरामद किया, जिसे विधिवत सील कर दिया गया और कब्जे में ले लिया गया, और संबंधित फर्द-बरामदगी को प्रदर्श क-4 के रूप में तैयार किया गया। जांच अधिकारी ने मृतक के शव की पंचायतनामा की कार्यवाही भी की और जांच रिपोर्ट (प्रदर्श क-5) तैयार की। इसके बाद, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद, जांच अधिकारी एस.आई. तेजपाल सिंह (पी.डब्लू.-6) ने धारा 161 सी.आर.पी.सी. के तहत सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू.-5) और घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। जांच की सभी औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, जांच अधिकारी एस.आई. तेजपाल सिंह (पी.डब्लू.-6) ने आरोपी व्यक्तियों, अर्थात्, किशन लाल, भोला नाथ और वीरपाल के खिलाफ संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष धारा-302 आई.पी.सी. के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

5. चूंकि यह अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 24.02.1989 को आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा-302 के तहत आरोप तय किए।

6. आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपना मामला सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने रामलाल (पी.डब्लू.-1), ओमकार (पी.डब्लू.-2), सालिक राम (पी.डब्लू.-3), मूल चंद (पी.डब्लू.-4), सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू.-5), जांच अधिकारी एस.आई. तेजपाल सिंह (पी.डब्लू.-6) और चिकित्सक एस.के. अग्रवाल (पी.डब्लू.-7) से पूछताछ की।

7. ऊपर बताए गए गवाहों की मौखिक साक्ष्य के अलावा, अभियोजन ने दस्तावेजी साक्ष्य पर भी भरोसा किया, जैसे कि लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क -1), खून से सनी और सादी मिट्टी की फर्द-बरामदगी (प्रदर्श

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



क-2), साइकिल, चप्पल और एच.एम.टी. घड़ी की फर्द-बरामदगी (प्रदर्श क -3), मृतक के खून से सने कपड़ों की फर्द-बरामदगी (प्रदर्श क-4), पंचायतनामा रिपोर्ट (प्रदर्श क-5), आरोपपत्र (प्रदर्श क-12) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-15)।

8. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूरे होने के बाद, आरोपी-अपीलकर्ताओं के बयान सी.आर.पी.सी. की धारा-313 के तहत दर्ज किए गए। इसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि पुरानी दुश्मनी की वजह से उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने इसी दुश्मनी के कारण उनके खिलाफ झूठी गवाही दी है। हालांकि, आरोपी-अपीलकर्ताओं ने अपने पक्ष के समर्थन में बचाव पक्ष का कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया।

9. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की जांच और मूल्यांकन के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपी-अपीलकर्ताओं, यानी किशन लाल, भोला नाथ और वीरपाल को अपराध का दोषी पाया और उन्हें आई.पी.सी. की धारा-302 के साथ सपठित धारा-34 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई।

10. इस न्यायालय के दिनांक 15.12.2025 के आदेश के तहत, अपीलकर्ता संख्या-1 और 2, यानी किशन लाल और भोला नाथ की अपील उनकी मौत के कारण खत्म हो गई। इसलिए, अब अपील सिर्फ अपीलकर्ता संख्या-3, वीरपाल की तरफ से ही बची है और उसी के अनुसार उस पर सुनवाई हो रही है।

11. हमने जीवित अपीलकर्ता संख्या-3 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी हैं। हमने अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्य को भी देखा है और विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.1989 को दिए गए दोषी ठहराने और सजा सुनाने के फैसले और आदेश को भी पढ़ा है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. अपीलकर्ता संख्या-3 वीरपाल (जो अब एकमात्र जीवित अपीलकर्ता हैं) के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना के तथाकथित चश्मदीद गवाह, रामलाल (पी.डब्लू-1) और ओंकार (पी.डब्लू-2), अपने बयानों से मुकर गए हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। यह तर्क दिया गया कि केवल सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5), जो मृतक के भाई हैं, ने ही अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन किया है। हालाँकि, दिनांक 23.10.1987 को घटना स्थल पर उनकी मौजूदगी पर बहुत संदेह है। अपीलकर्ता संख्या-3 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि आई.पी.सी. की धारा-34 के प्रावधानों के तहत, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि कथित अपराध करने में सभी आरोपी-अपीलकर्ताओं की कोई पूर्व-योजना, पूर्व-विचार या संयुक्त भागीदारी थी। अपीलकर्ता संख्या-3 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि लिखित रिपोर्ट में बताए गए चश्मदीद गवाहों, यानी रामलाल (पी.डब्लू-1) और ओंकार (पी.डब्लू-2) ने मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, और इसलिए आरोपियों को दोषी ठहराना पूरी तरह से सूचना देने वाले राम दयाल (पी.डब्लू-5) की पक्षपाती और अकेली गवाही पर आधारित है, जिस पर इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार यह कहा गया कि निचली अदालत ने साक्ष्य के मूल्यांकन के स्थापित सिद्धांतों को नजरअंदाज करते हुए और संदिग्ध व अविश्वसनीय साक्ष्य पर भरोसा करके आरोपी-अपीलकर्ताओं को गैर-कानूनी और गलत तरीके से दोषी ठहराया है। नतीजतन, दिनांक 16.05.1989 का दोषसिद्धि और सजा का फैसला और आदेश अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के खिलाफ है और इसे रद्द किया जाना चाहिए तथा इस आपराधिक अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए।

13. इसके विपरीत, राज्य की ओर से प्रस्तुत विद्वान ए.जी.ए. ने कहा कि भले ही चश्मदीद गवाह राम लाल (पी.डब्लू-1) और ओंकार (पी.डब्लू-2) मुकर गए हों और उन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन न किया हो,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लेकिन सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5), जो मृतक का भाई है, ने अपनी गवाही में अभियोजन पक्ष की बात का पूरी तरह और लगातार समर्थन किया है। विद्वान ए.जी.ए. ने आगे कहा कि कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ़ एक गवाह की गवाही के आधार पर भी दोषी ठहराया जा सकता है, बशर्ते उसकी गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद हो। इसके अलावा, विचारण न्यायालय ने सही और कानूनी नज़रिए से राम दयाल (पी.डब्लू-5) की गवाही पर भरोसा किया, जो इस मामले में एकमात्र चश्मदीद गवाह है, और उसके विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी-अपीलकर्ता को अपराध का दोषी ठहराया। विद्वान ए.जी.ए. ने ज़ोर देकर कहा कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.1989 को दोषी ठहराने और सज़ा सुनाने का फ़ैसला अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पूरी तरह सही है और इसमें अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को समझने या उनका मूल्यांकन करने में कोई गलती नहीं हुई है। विचारण न्यायालय ने कानून के अनुसार और साक्ष्य को सही ढंग से समझने के बाद, आरोपी-अपीलकर्ता को कथित अपराध करने के लिए सही ढंग से दोषी ठहराया है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने बिना किसी उचित संदेह के अपना मामला पूरी तरह साबित कर दिया है। नतीजतन, यह कहा गया कि आरोपी-अपीलकर्ता द्वारा दायर यह आपराधिक अपील बिना किसी ठोस आधार के है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

14. अकेले बचे हुए आरोपी-अपीलकर्ता संख्या-3, वीरपाल के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए की जवाबी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, हमने लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) और अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य को देखा है। एफ.आई.आर. को देखने से यह स्पष्ट होता है कि घटना दिनांक 23.10.1987 को सुबह लगभग 10:00 बजे हुई थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15. मृतक इन्दल का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक एस.के. अग्रवाल (पी.डब्लू-7) की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-15) को देखने से पता चलता है कि मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गई थीं:

1. छाती के सामने की तरफ, गर्दन के निचले हिस्से में 15 से.मी. x 5 से.मी. का एक कटा हुआ घाव था जो हड्डी तक गहरा था। सी -7 और सी -8 वर्टिब्रा (रीढ़ की हड्डी के मनके) हड्डी के स्तर पर कटे हुए थे और छाती गर्दन से अलग पाई गई थी।

2. दो कटे हुए घाव, प्रत्येक का माप 4 सेमी - 1 सेमी, हड्डी तक गहरा।

3. बाएं कान के थोड़ा ऊपर, 3 से.मी. '1 से.मी. ' का कटा हुआ हड्डी तक गहरा घाव, ।

4. सिर के बीच के अगले हिस्से में 2 सेमी लंबा, हड्डी तक गहरा घाव।

5. 5 सेमी ' 1 सेमी माप का एक कटा हुआ घाव, हड्डी तक गहरा, सिर के मध्य से बाईं ओर फैला हुआ, जिसमें बाईं आंख और बायां गाल शामिल हैं।

बाईं कलाई पर कलाई की हड्डी के ऊपरी हिस्से पर 3 सेमी - 1 सेमी के दो कटे हुए घाव, हड्डी तक गहरे। कलाई की हड्डी कटी हुई मिली।

7. बायीं हथेली के पीछे 5 से.मी. का एक कट लगा हुआ घाव, जो हड्डी तक गहरा है।

8. बाएं हाथ के अगले हिस्से के पीछे, बाहर की तरफ, दो कटे हुए घाव, प्रत्येक 3 सेमी - 1 सेमी का, हड्डी तक गहरा।

9. बाएं कंधे पर 4 सेमी ' 1 सेमी माप का, हड्डी तक गहरा घाव मौजूद है।

10. दाहिनी हथेली के पीछे 3 सेमी ' 1 सेमी माप का, हड्डी तक गहरा एक घाव।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. दाहिनी हथेली के अगले हिस्से पर 2 सेमी ' 1 सेमी माप का, हड्डी तक गहरा एक घाव है।

12. दाहिने हाथ के पीछे और अंगुलियों पर 4 सेमी ' 1 सेमी माप का, हड्डी तक गहरा एक घाव।

13. दाहिने पैर की उंगलियों के बीच 2 सेमी का एक कटा हुआ घाव, 1सेमी हड्डी तक गहरा।

16. चिकित्सक एस.के. अग्रवाल (पी.डब्लू-7) की गवाही और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (प्रदर्शक-15) से यह साफ है कि मृतक की मौत का कारण मृत्यु पूर्व चोटों की वजह से सदमा एवं रक्तश्राव था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि मृतक के शरीर के ज़रूरी हिस्सों पर तेरह चोटें आईं। इस तरह, यह साबित होता है कि मृतक की बेरहमी से हत्या की गई थी।

17. एफ.आई.आर. में बताए गए अभियोजन पक्ष के अनुसार, सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5) साइकिल के कैरियर पर बैठे थे, जबकि मृतक साइकिल चला रहा था। जब आरोपी-अपीलकर्ताओं ने कथित तौर पर मृतक पर हमला किया, तो बताया जाता है कि सूचनाप्रदाता साइकिल से उतरकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। एफ.आई.आर. में यह भी बताया गया है कि सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5) के अलावा, रामलाल (पी.डब्लू-1) और ओंकार (पी.डब्लू-2) ने भी आरोपियों द्वारा किए गए कथित अपराध को देखा था।

18. हालांकि, रामलाल (पी.डब्लू-1) और ओंकार (पी.डब्लू-2) की गवाही पर गौर करने से यह साफ है कि अभियोजन पक्ष के इन दोनों गवाहों ने विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। उन्होंने जांच अधिकारी के सामने सी.आर.पी.सी. की धारा-161 के तहत अपने कथित बयानों से भी इनकार किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



19. पी.डब्लू-1 और पी.डब्लू-2 की गवाही से, सिर्फ़ यही बात साबित होती है कि घटना की तारीख को उन्होंने मृतक की लाश को घटनास्थल पर पड़ा देखा था। इन दोनों गवाहों ने साफ़-साफ़ कहा कि उन्होंने किसी भी आरोपी को असल में अपराध करते नहीं देखा था।

20. इस प्रकार, उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य से, यह केवल इस सीमा तक सिद्ध होता है कि मृतक की हत्या उक्त दिनांक, समय और स्थान पर की गई थी और मृतक का कटा हुआ सिर वाला शरीर घटनास्थल पर पाया गया था।

21. अभियोजन पक्ष के गवाह सालिक राम (पी.डब्लू-3) ने साफ़ तौर पर गवाही दी है कि घटना के बाद, उन्होंने सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5) के बताए अनुसार लिखित रिपोर्ट (तेहरीरी) लिखी थी। उन्होंने आगे बताया कि उक्त रिपोर्ट लिखने के बाद, उन्होंने उस पर अपने और राम दयाल (पी.डब्लू-5) के हस्ताक्षर किए थे। इस गवाह ने यह भी कहा है कि वह पुलिस स्टेशन नहीं गए थे। अभियोजन पक्ष के गवाह सालिक राम (पी.डब्लू-3) की गवाही को मिलाकर पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि सालिक राम (पी.डब्लू-3) ही उस लिखित रिपोर्ट (तेहरीरी) के लेखक हैं, जिसे प्रदर्शक-क के रूप में चिह्नित किया गया है। उक्त लिखित रिपोर्ट (प्रदर्शक-1) सालिक राम (पी.डब्लू-3) द्वारा सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5) के बताए अनुसार लिखी गई थी।

22. अभियोजन पक्ष के गवाह मूल चंद (पी.डब्लू-4) ने खून से सनी मिट्टी और सादी मिट्टी की फर्द बरामदगी सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्शक-2 के तौर पर चिह्नित किया गया है। उन्होंने घटना स्थल से बरामद साइकिल, चप्पल और एच.एम.टी. कलाई घड़ी की फर्द बरामदगी भी सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्शक-3 के तौर पर चिह्नित किया गया है। इस गवाह ने मृतक के कपड़ों की फर्द बरामदगी भी सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्शक-4 के तौर पर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पर चिन्हित किया गया है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के गवाह मूल चंद (पी.डब्लू-4) ने मृतक का पंचनामा सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्श क-5 के तौर पर चिन्हित किया गया है। इस गवाह ने अपनी गवाही में कहा है कि मृतक इंदल प्रसाद उनके रिश्तेदार थे। गवाह मूल चंद (पी.डब्लू-4) के बयान से यह भी स्पष्ट है कि वे सुबह लगभग 11:00-11:30 बजे घटना स्थल पर पहुँचे थे। उस समय, पुलिस फर्द बरामदगी - प्रदर्श क-2, प्रदर्श क-3, प्रदर्श क-4 और प्रदर्श क-5 - तैयार कर रही थी। उस समय, दरोगा जी यह भी पूछ रहे थे कि किसकी किससे दुश्मनी थी। पी.डब्लू-4 ने आगे बताया है कि पंचनामा की कार्यवाही उनकी मौजूदगी में की गई थी और इसे उनके सामने ही तैयार किया गया था। गवाह ने इन तथ्यों की पुष्टि की है।

23. यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष के गवाह, यानी रामलाल (पी.डब्लू-1) और ओंकार (पी.डब्लू-2) —जिनके नाम कथित घटना के चश्मदीद गवाह के तौर पर लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) में दर्ज हैं विचारण न्यायालय के समक्ष मुकर गए हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। सालिक राम (पी.डब्लू-3) एक औपचारिक गवाह हैं जिन्होंने सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5) के कहने पर लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) लिखी थी। मूल चंद (पी.डब्लू-4) केवल बरामदगी और फर्द बरामदगी व पंचनामा तैयार करने के संबंध में गवाह हैं, और उन्होंने प्रदर्श क-2, प्रदर्श क-3, प्रदर्श क-4 और प्रदर्श क-5 को प्रमाणित किया है।

24. इस मामले में, कथित घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5) है। वह अभियोजन पक्ष का मुख्य गवाह है, जिसका दावा है कि उसने घटना की तारीख, यानी दिनांक 23.10.1987 को सभी आरोपी-अपीलकर्ताओं को कथित अपराध करते हुए अपनी आँखों से देखा था। उसका बयान लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) में भी दर्ज है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



25. सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5) के मुख्य परीक्षण को देखने से पता चलता है कि कथित घटना के समय वह अपने बड़े भाई, मृतक इंदल प्रसाद के साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वह और उनके भाई इंदल साइकिल से गुजरानपुर गाँव के ग्राम प्रधान मूल चंद से मिलने गए थे। बैठक से लौटते समय, सुबह लगभग 10:00 बजे, जब वे नहर के पास स्थित टीले के पास पहुँचे, तो आरोपी वीरपाल, किशन लाल और भोला नाथ अचानक गन्ने के खेत से निकले। उनके अनुसार, वीरपाल और भोला नाथ के पास कांता (एक प्रकार का हथियार) था, जबकि किशन लाल के पास तलवार थी। गन्ने के खेत से निकलने के बाद, आरोपियों ने मृतक पर बेरहमी से हमला किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने अपने भाई का कटा हुआ सिर देखा और उसके बाद आरोपी मौके से भाग गए। गवाह ने बताया कि जब उन्होंने शोर मचाया और कुछ दूर भागे, तो नहर के पास से गुजर रहे रामलाल और ओंकार मौके पर पहुँचे। रामलाल और ओंकार ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे हमले को रोक पाते, आरोपियों ने मृतक का सिर काट दिया था और भाग गए थे। इस गवाह के बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि कथित घटना से पहले मृतक साइकिल चला रहा था, और उसकी चप्पलें तथा कलाई घड़ी घटना स्थल पर ही पड़ी रह गई थीं।

26. जिरह के दौरान, सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5) ने बताया कि वह अपने भाई इंदल प्रसाद के साथ सुबह करीब 7:00 बजे गाँव के प्रधान मूल चंद के घर गए थे। उन्होंने कहा कि जब आरोपी गन्ने के खेत से बाहर निकला, तो वह अपनी साइकिल से उतरे और चिल्लाते हुए भाग गए, लेकिन उन्हें याद नहीं था कि वे किस दिशा में भागे थे।

27. गवाह से हुई जिरह से यह भी पता चला है कि जब से मेरे भाई, इंदल प्रसाद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था, तब से ही आरोपी व्यक्तियों और मेरे भाई के बीच दुश्मनी थी। उस पुराने मामले में मेरे भाई

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इंदल को दोषी ठहराया गया था और चार साल की सज़ा सुनाई गई थी। कथित घटना के समय, उस सज़ा के खिलाफ़ अपील लंबित थी और मेरा भाई ज़मानत पर बाहर था।

28. लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) को देखने से यह साफ़ है कि वर्ष 1981 में भोला नाथ के बेटे ओंकार की हत्या कर दी गई थी और उस मामले में मेरे भाई इंदल का नाम आया था। उस पर मुक़दमा चला था और उसने सज़ा का कुछ हिस्सा काटा भी था। इन हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि सूचनाप्रदाता के भाई की हत्या आरोपियों ने पुराने मामले से चली आ रही दुश्मनी की वजह से की थी।

29. लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) को देखने से यह साफ़ पता चलता है कि मृतक इंदल प्रसाद और आरोपी व्यक्तियों के बीच गहरी दुश्मनी थी। इस दुश्मनी की वजह भोला नाथ के बेटे ओंकार की हत्या थी, जिसमें मृतक इंदल प्रसाद को आरोपी बनाया गया था। इंदल प्रसाद पर मुक़दमा चला, उसे दोषी ठहराया गया और चार साल की सज़ा सुनाई गई। कथित घटना के समय वह ज़मानत पर था और उसकी सज़ा के खिलाफ़ अपील लंबित थी। ये हालात आरोपी-अपीलकर्ताओं द्वारा इंदल प्रसाद की हत्या करने के ठोस मक़सद की ओर इशारा करते हैं, जो अपने भाई और सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5) के साथ साइकिल से घर लौट रहा था। इस तीखी और बदले की भावना वाली दुश्मनी की पुष्टि आरोपी-अपीलकर्ताओं से की गई जिरह से भी होती है। इस प्रकार, अदालत में सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5) की गवाही से आरोपी-अपीलकर्ताओं की पुरानी दुश्मनी और बदले की भावना के तथ्य स्पष्ट रूप से साबित होते हैं।

30. हालांकि अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों, जैसे रामलाल (पी.डब्लू-1) और ओंकार (पी.डब्लू-2), ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है, लेकिन जब लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) के आधार पर उनके बयानों पर विचार किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष के गवाह राम दयाल (पी.डब्लू-5) का बयान पूरी तरह से

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विश्वसनीय और प्रासंगिक पाया जाता है। हम केवल इस आधार पर सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5) के बयान को खारिज नहीं कर सकते कि इस एकमात्र चश्मदीद गवाह के बयान का समर्थन अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों, जैसे रामलाल (पी.डब्लू-1) और ओंकार (पी.डब्लू-2), ने नहीं किया है। सूचना देने वाले राम दयाल (पी.डब्लू-5) के बयान की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट (सूचनाप्रदाता-15) और चिकित्सक एस.के. अग्रवाल (पी.डब्लू-7) के बयान से भी होती है, जिन्होंने मृतक इंदल प्रसाद का पोस्टमार्टम किया था।

31. चिकित्सक एस.के. अग्रवाल (पी.डब्लू-7) द्वारा तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-15) को देखने पर पता चलता है कि मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर तेरह गंभीर चोटें आई थीं। चिकित्सक एस.के. अग्रवाल के अनुसार, ये सभी चोटें तलवार, कांता या किसी अन्य भारी और धारदार हथियार से लगी थीं। सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5) ने अपनी लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) और अदालत के सामने अपनी गवाही में बताया कि आरोपी-अपीलकर्ता किशन लाल के पास तलवार थी, जबकि आरोपी-अपीलकर्ता भोला नाथ और वीरपाल के पास कांता था।

32. चोटों की संख्या, उनकी प्रकृति और शरीर पर उनके स्थान को देखने से यह स्पष्ट है कि तीनों आरोपी-अपीलकर्ता घटना वाली जगह पर मौजूद थे और उन्होंने मिलकर मृतक इंदल प्रसाद पर तलवार और कांता से हमला किया, जिससे उसके शरीर के अहम हिस्सों पर तेरह गंभीर चोटें आईं। चोटों की प्रकृति और आकार, साथ ही इस्तेमाल किए गए हथियारों से पता चलता है कि आरोपी-अपीलकर्ता बदले की भावना से प्रेरित थे, क्योंकि मृतक इंदल प्रसाद का नाम आरोपी-अपीलकर्ता भोला नाथ के बेटे ओंकार की हत्या के मामले में आया था और उसे दोषी ठहराया गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि आरोपी-अपीलकर्ताओं के पास पिछली घटना का बदला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लेने के लिए इंदल प्रसाद की हत्या करने का एक मजबूत मकसद था। इस तरह, अभियोजन पक्ष ने आरोपी-अपीलकर्ताओं के उस मकसद को पूरी तरह से सिद्ध कर दिया है, जिसके कारण उन्होंने कथित अपराध किया।

33. जहाँ तक एकमात्र चश्मदीद गवाह और सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5) की गवाही का सवाल है, तो सभी साक्ष्य को देखने और उनका विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि उनकी गवाही में कोई ऐसी अहम या बड़ी विरोधाभासी बात नहीं है जिससे उनके बयान पर शक किया जा सके। दूसरे शब्दों में, एकमात्र चश्मदीद गवाह राम दयाल (पी.डब्लू-5) की गवाही पूरी तरह भरोसेमंद है। इसके अलावा, राम दयाल (पी.डब्लू-5) की गवाही पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उनकी गवाही से यह सिद्ध हो गया है कि आरोपी-अपीलकर्ताओं के पास कथित अपराध करने का मकसद था।

34. एकमात्र चश्मदीद गवाह और सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5) की मौजूदगी की पुष्टि न्यायालय में उनके बयान और लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) से भी होती है। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है कि पीड़ित के परिवार वाले असली अपराधी को बरी नहीं करेंगे और न ही अपराध के मामले में किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाएंगे। पीड़ित के परिवार वाले आम तौर पर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अपराध करने के लिए असली अपराधी को ही जिम्मेदार ठहराया जाए।

35. एकमात्र चश्मदीद गवाह और सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5) के बयान और लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) से यह स्पष्ट है कि सभी आरोपी-अपीलकर्ताओं ने एक ठोस मकसद के साथ पहले से सोची-समझी साजिश रची थी। वे सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे और जब उन्हें इंदल प्रसाद अपने भाई और सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्लू-5) के साथ अकेले मिले, तो उन्होंने अपनी पहले से तय योजना के तहत मिलकर तलवार और कांता से इंदल प्रसाद पर हमला किया, जिससे उनकी हत्या हो गई।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



36. चोटों की संख्या, उनकी प्रकृति और स्थान, साथ ही कथित अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति से यह सिद्ध होता है कि तीनों आरोपी-अपीलकर्ताओं ने अपराध में समान रूप से भाग लिया। इसलिए, इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आरोपी-अपीलकर्ताओं ने पहले से योजना बनाकर और सोच-समझकर काम किया और कथित अपराध को अंजाम देने में सक्रिय रूप से भाग लिया।

37. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अशोक कुमार बनाम पंजाब राज्य (ए.आई.आर. 1977 उच्चतम न्यायालय 109)** के मामले में आई.पी.सी. की धारा-34 के बारे में यह कहा है कि:

"इस धारा को लागू करने के लिए जरूरी है कि अपराध में शामिल लोगों का इरादा एक ही हो। यह जरूरी नहीं है कि किसी अपराध के लिए एक साथ आरोपी बनाए गए कई लोगों के काम बिल्कुल एक जैसे या हूबहू हों। उनके काम भले ही अलग-अलग तरह के हों, लेकिन इस प्रावधान के तहत आने के लिए उन सभी के कामों के पीछे एक ही मकसद या इरादा होना चाहिए।।"

38. **बाबूलाल भगवान खंडारे बनाम महाराष्ट्र राज्य; ए.आई.आर. 2005 उच्चतम न्यायालय 1460** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या-20 और 23 में कहा है कि:

"20. धारा 34 को आपराधिक काम को करने में संयुक्त दायित्व' के सिद्धांत पर लागू किया गया है। यह धारा केवल साक्ष्य का एक नियम है और कोई नया अपराध नहीं बनाती है। इस धारा की खास बात काम में भागीदारी का तत्व है। कई लोगों द्वारा किए गए आपराधिक काम के दौरान किसी एक व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए दायित्व धारा-34 के तहत तब बनता है, जब वह आपराधिक काम अपराध करने में शामिल लोगों के साझा इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया हो। साझा इरादे का सीधा सबूत शायद ही कभी मिलता है, इसलिए ऐसे इरादे का अनुमान केवल मामले के साबित तथ्यों और साक्ष्य परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है। साझा इरादे

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के आरोप को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य चाहे सीधे हों या परिस्थितियों पर आधारित से यह सिद्ध करना होगा कि सभी आरोपी व्यक्तियों की उस अपराध को करने के लिए योजना या सोच एक जैसी थी, जिसके लिए उन पर धारा-34 के तहत आरोप लगाया गया है, चाहे वह पहले से तय हो या अचानक बनी हो; लेकिन यह अपराध करने से पहले ही होनी चाहिए। इस धारा का असली मतलब यह है कि अगर दो या उससे ज्यादा लोग जानबूझकर मिलकर कोई काम करते हैं, तो कानून की नज़र में स्थिति वैसी ही होती है जैसे कि उनमें से हर एक ने वह काम अकेले-अकेले किया हो।

23. इस धारा में न तो "सभी का सामान्य आशय" कहा गया है और न ही "सभी के लिए सामान्य आशय" कहा गया है। धारा- 34 के प्रावधानों के तहत, जिम्मेदारी का मुख्य आधार आरोपी के मन में मौजूद वह साझा इरादा है, जिसके कारण उस इरादे को पूरा करने के लिए कोई आपराधिक काम किया गया। धारा-34 में बताए गए सिद्धांतों को लागू करने के परिणामस्वरूप, जब किसी आरोपी को धारा- 302 के साथ धारा- 34 के तहत दोषी ठहराया जाता है, तो कानून की नज़र में इसका मतलब यह होता है कि आरोपी उस काम के लिए उसी तरह जिम्मेदार है जिससे मृतक की मौत हुई, मानो वह काम उसने अकेले ही किया हो। इस प्रावधान का मकसद ऐसे मामलों से निपटना है जहाँ किसी समूह के अलग-अलग सदस्यों के कामों के बीच फ़र्क करना मुश्किल हो सकता है, जो सभी के साझा इरादे को पूरा करने के लिए काम कर रहे हों, या यह सिद्ध करना मुश्किल हो कि उनमें से हर एक ने ठीक-ठीक क्या भूमिका निभाई।

39. वीरेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 8 एस.सी.सी. 407 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या-15, 16 और 17 में कहा है कि:

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



15. आम तौर पर, कोई व्यक्ति अपने ही काम के लिए जिम्मेदार होता है। अगर किसी व्यक्ति का अपराध करने का साझा इरादा था, तो वह दूसरों के कामों के लिए भी 'परोक्ष रूप से जिम्मेदार' हो सकता है। "साझा इरादा" शब्द का मतलब है पहले से तय योजना और उस योजना के अनुसार मिलकर काम करना। यह साबित करना ज़रूरी है कि आपराधिक काम पहले से तय योजना के अनुसार मिलकर किया गया था। साझा इरादा काम करने से पहले ही बन जाता है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबा समय बीता हो। इस धारा के तहत, पहले से कोई अलग योजना या साजिश सिद्ध करना ज़रूरी नहीं है। किसी खास नतीजे तक पहुँचने का साझा इरादा कई लोगों के बीच मौके पर ही बन सकता है, जो मामले के तथ्यों और हालात पर निर्भर करता है। हालाँकि साझा इरादा मौके पर बन सकता है, लेकिन अपराध करने से पहले ही यह इरादा बन जाना चाहिए, जिससे पहले से तय योजना और आपसी सहमति का पता चले। लड़ाई के दौरान भी साझा इरादा बन सकता है, लेकिन इस बात को सही ठहराने के लिए स्पष्ट और ठोस साक्ष्य होने चाहिए।

16. इस जिम्मेदारी का मुख्य आधार आरोपियों की वह सामान्य आशय है, जिसके कारण उन्होंने उस आशय को पूरा करने के लिए कोई आपराधिक काम किया। बेशक, किसी एक व्यक्ति की आशय सिद्ध करना भी मुश्किल होता है, और इसलिए लोगों के एक समूह की सामान्य आशय को दिखाना तो और भी मुश्किल है। इसलिए, यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति सामान्य आशय का दोषी है, अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य की सावधानीपूर्वक और बारीकी से जांच करना बहुत ज़रूरी है। सामान्य आशय का पता केवल अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से ही लगाया जा सकता है।

17. धारा-34 कोई मुख्य अपराध नहीं है। इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को किसी दूसरे के किए गए कामों के लिए जिम्मेदार ठहराने से पहले यह सिद्ध करना ज़रूरी है कि दोनों के बीच पहले से तय योजना के रूप में

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सामान्य आशय था और जिस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसने अपराध करने वाले काम में किसी न किसी तरह से हिस्सा लिया था। जब तक सामान्य आशय और भागीदारी, दोनों मौजूद न हों, तब तक यह धारा लागू नहीं हो सकती।

40. ऊपर बताए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के विधि वाद के आधार पर साक्ष्य की दोबारा जांच करने पर, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से यह साफ होता है कि सभी आरोपी-अपीलकर्ता, आरोपी-अपीलकर्ता भोला नाथ के बेटे ओंकार की हत्या का बदला लेने की प्रबल इच्छा से प्रेरित थे और उन्होंने पहले से सोची-समझी और तय योजना के तहत काम किया। वे मृतक, इंदल प्रसाद का इंतज़ार करते हुए नहर के पास गन्ने के खेत में छिपे हुए थे। जब मृतक घटना स्थल से गुज़रा, तो सभी आरोपी-अपीलकर्ताओं ने एक ही इरादे से उस पर तलवारों और कांता (एक प्रकार का हथियार) से हमला किया, उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर गंभीर चोटें पहुंचाई और आखिरकार उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य स्पष्ट तौर पर यह सिद्ध करते हैं कि जीवित अपीलकर्ता, वीरपाल ने अन्य अपीलकर्ताओं (जो अब मर चुके हैं) के साथ मिलकर पहले से सोची-समझी और तय योजना के तहत काम किया, और उन सभी ने कथित अपराध को अंजाम देने में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारतीय दंड संहिता की धारा-34 की शर्तें पूरी तरह से सिद्ध होती हैं, जिससे सभी आरोपी कथित अपराध के लिए दोषी ठहराए जाते हैं। सबूतों और माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर बताए गए फैसलों को देखते हुए बचाव पक्ष की दलीलों में कोई दम नहीं है।

41. दिनांक 6.05.1989 के दोषसिद्धि और सज़ा के फैसले और आदेश में विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों और तर्कों को देखने से यह साफ़ है कि विचारण न्यायालय ने मकसद के सवाल पर ठीक से विचार किया और साक्ष्य को समझने के बाद, सभी आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ़ कथित अपराध करने का एक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मजबूत मकसद पाया। विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज किए, जो जांचने पर पूरी तरह से सबूतों और कानून के अनुसार हैं।

42. विचारण न्यायालय ने सूचनाप्रदाता राम दयाल (पी.डब्ल्यू-5) के साक्ष्य पर पूरा भरोसा किया। उनकी गवाही और लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) में बताए गए मकसद के आधार पर न्यायालय ने यह नतीजा निकाला कि सभी आरोपी-अपीलकर्ताओं के पास कथित अपराध करने का एक ठोस मकसद था। विचारण न्यायालय की दलीलों को देखने से यह साफ़ है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार सही और कानूनी रूप से उचित तरीके से विचार किया गया था। इसलिए, विचारण न्यायालय के निष्कर्षों और दलीलों को यह न्यायालय सही मानती है।

43. इस तरह, ऊपर की चर्चाओं से हमें जीवित अपीलकर्ता वीरपाल के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों में कोई दम या आधार नज़र नहीं आता। हम यह भी मानते हैं कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गए साक्ष्य का सही मूल्यांकन किया और जीवित अपीलकर्ता वीरपाल को, अन्य अपीलकर्ताओं (जो अब जीवित नहीं हैं) के साथ, आई.पी.सी. की धारा-34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा-302 के तहत दोषी ठहराने का सही फैसला सुनाया। हमें विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन में कोई गैर-कानूनी बात या कमी नज़र नहीं आती।

44. विचारण न्यायालय द्वारा आई.पी.सी. की धारा-302 और धारा-34 के तहत दिनांक 16.05.1989 को दोषी ठहराने और सज़ा सुनाने का जो फैसला दिया गया था, वह अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से पूरी तरह सिद्ध होता है। साक्ष्य से यह ठोस तौर पर सिद्ध होता है कि ज़िंदा बचे अपीलकर्ता वीरपाल ने, दूसरे अपीलकर्ताओं (जो अब गुजर चुके हैं) के साथ मिलकर, पहले से सोची-समझी साजिश और योजना के तहत यह अपराध किया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



45. इस प्रकार, ऊपर की चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि आई.पी.सी. की धारा-34 के ज़रूरी तत्व – यानी पहले से योजना बनाना, सोच-समझकर काम करना और घटना में शामिल होना – जीवित आरोपी-अपीलकर्ता वीरपाल के खिलाफ पूरी तरह से सिद्ध हो गए हैं। चूंकि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य ने आरोपी-अपीलकर्ता वीरपाल की पहले से योजना बनाने, सोच-समझकर काम करने और सक्रिय रूप से शामिल होने की बात को निर्णायक रूप से सिद्ध कर दिया है, इसलिए वह अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए अपराध और आरोप के लिए दोषी ठहराए जाने का पात्र है।

46. इसलिए, इस आपराधिक अपील में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

47. आरोपी-अपीलकर्ता वीरपाल अभी ज़मानत पर है। उसका व्यक्तिगत बंधपत्र रद्द कर दिया गया है और उसके ज़मानतदारों को उनकी ज़िम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। उसे निर्देश दिया जाता है कि वह आज से एक महीने के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत के सामने आत्मसमर्पण करे, ताकि वह विचारण न्यायालय के दिनांक 16.05.1989 के आदेश द्वारा सुनाई गई बाकी सज़ा काट सके।

48. अगर आरोपी-अपीलकर्ता वीरपाल, तय एक महीने की अवधि के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करेंगे। गिरफ्तारी के बाद, उसे विचारण न्यायालय के दिनांक 16.05.1989 के आदेश के अनुसार बाकी सज़ा काटने के लिए जेल भेज दिया जाएगा।

49. पीलीभीत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश के पालन के संबंध में इस न्यायालय को सूचित करें।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



50. इस फ़ैसले की एक प्रति, विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ, तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी) (माननीय न्यायमूर्ति सलील कुमार राय)

दिनांक : 26 फ़रवरी, 2026

आदित्य

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”